राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड।

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Email : jsec-jhr@nic.in

दूरभाष– 0651–2284012, 2284008, 6457479 फैक्स–0651–2284002

पत्रांक–03–नि०/प०- 24/2022 रा०नि०आ०–1047 / राँची, दिनांक– 06 / 05 /2022

"आदेश"

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-उपायुक्त, रामगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक-423 दिनांक-05.05.2022 के द्वारा यह संसूचित किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 के अन्तर्गत XVI रामगढ जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-05 पतरातु के उम्मीदवार कुमार निशांत के द्वारा जिला परिषद् सं०-05 के लिए नामांकन पर्चा खरीदने वाले सभी उम्मीदवारों को दबाव एवं भय दिखाकर नामांकन पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। प्रासंगिक पत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्रांक-2267/गो० दिनांक-04.05.2022 का उल्लेख किया गया है कि रामगढ़ जिला अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2022 के तृतीय चरण में XVI रामगढ़ जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-05 पतरातु के उम्मीदवार कुमार निशांत पिता-बिरेन्द्र सिंह, ग्राम-शांति नगर, पतरातु, जिला-रामगढ के द्वारा उक्त पद के लिए नामांकन पर्चा खरीदने वाले उम्मीदवारों को गाली-गलौज किये जाने, जान से मारने की धमकी, लालच एवं भयादोहन कर नामांकन पर्चा भरने से जबरन रोक दिया गया है।

उन्होंने उक्त पत्र में आगे यह उल्लेख किया है कि XVI रामगढ़ जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-05 पतरातु, जिला-रामगढ़ के नाम निर्देश पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक-02.05.2022 तक कुल दस उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गये थे, जबकि नामांकन पत्र केवल कुमार निशांत द्वारा दाखिल किया गया।

उक्त संबंध में रामगढ़ में प्रतिनियुक्त श्री जय किशोर प्रसाद, सामान्य प्रेक्षक ने भी अपने पत्रांक–22 दिनांक–05.05.2022 के अधीन प्रतिवेदन में उक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए विधि-सम्मत् कार्रवाई की अनुशंसा की है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K(1) के अन्तर्गत पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के पर्यविक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का पूर्ण अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। आयोग का दायित्व है कि सभी स्तरों के निर्वाचन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हों। भय दिखलाकर अथवा जबरदस्ती कर किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव में भाग न लेने देना निर्वाचन प्रक्रिया में एक गंभीर व्यवधान है, जो निर्वाचन को निष्पक्ष व स्वतंत्र होने से रोकता है। आयोग के द्वारा पत्रांक–234 दिनांक–22.02.2022 के द्वारा इस बारे में राज्य के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला दण्डाधिकारी को अनुदेश भेजे गये थे।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अध्याय 4 के अन्तर्गत धारा 66(5) में निम्न प्रावधान अंकित हैं–

"राज्य निर्वाचन आयोग को स्वत: संज्ञान पर या संप्रेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की परीक्षा पर या पंचायत निर्वाचन में अनियमिततओं के अभिकथनों की प्राप्ति पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ करने का विवेकाधिकार होगा और ऐसी कार्रवाई में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करना, निर्वाचन स्थगित करना और मतगणना को स्थगित करना सम्मिलित हो सकता है"

अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी के प्रतिवेदन जो पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के सदर्भित पत्रांक–2267 दिनांक–04.05.2022 के प्रतिवेदन के आधार पर है, तथा पुलिस पदाधिकारी द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों से लिये गये बयानों से राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अधीन सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी के साथ-साथ शुद्धता से XVI रामगढ़ जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या–05 पतरातु में निर्वाचन प्रक्रम जारी रखना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतएव झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, XVI रामगढ़ जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या–05 पतरातु के निर्वाचन तथा उसकी प्रक्रिया को प्रत्यादिष्ट करता है।

कालांतर में इस क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन की घोषणा अलग से की जायेगी।

ह०/-

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से

ज्ञापांक–03–नि०/ पं०–24/2022 रा०नि०आ०– 1049 / राँची, दिनांक– 06 / 05 /2022

प्रतिलिपिः– सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03–नि०/ पं०–24/2022 रा०नि०आ०– 1049 / राँची, दिनांक– 06 / 05 /2022

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03–नि०/ पं०–24/2022 रा०नि०आ०– 1049 / राँची, दिनांक– 06 / 05 /2022

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग,झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03–नि०/ पं०–24/2022 रा०नि०आ०– 1049 / राँची, दिनांक– 06 / 05 /2022

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6/5/22

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।